मुकदमा संख्या:-70/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
13.05.2024	प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा मीरपुरा प्रार्थी के मालिकाना हकहकुक व खातेदारी के खेत **खसरा संख्या 444/742 रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 446 रकबा 0.02 है., खसरा नंबर 447 रकबा 0.08 है, खसरा नंबर 448 रकबा 3.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 रकबा 1.70 हैक्टेयर**, आये हुए है जो नक्शे में अलग से तरमीमशुदा है जिस पर प्रार्थी का सहज शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी ने उक्त तरमीमशुदा भूमि में हल्का पटवारी से सीमांकन हेतु आवेदन कर भूमि का सीमांकन करवाया बावजूद अप्रार्थीगण 01 ता 03 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते रहते है जिस पर प्रार्थी ने व्यथित होकर स्थायी नेखमबंदी हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार सांचौर को आदेश जारी किया तथा दिनांक 22.04.2009 को राजस्व कमेटी द्वारा स्थायी नेखमबंदी करने हेतु कार्यवाही शुरू की जिस पर अप्रार्थीगण ने राजकार्य में बाधा पहुंचाकर नेखमबंदी नहीं करने दी जिस पर मुकदमा संख्या 73/09 पुलिस थाना करड़ा में दर्ज करवाया गया, इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है जबकि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मुलभूत कानुनी स्तम्भ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। वकील अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा मीरपुरा के पुराने खेत खसरा संख्या 185, 189, 192, 195, जुमले रकबा 57 बिघा 58 बिस्वा वादी के पिता फुसा व अप्रार्थी के स्व. पिता तेजा के संयुक्त खातेदारी की पैतृक संपति आई हुई थी, जिससे उक्त नये खसरा नंबरान् सृजित हुए। प्रार्थी पेशे से अध्यापक है, ने राजकीय कर्मचारियों से मिलावट कर गलत बंटवाड़ा दर्शाकर खसर नंबर 444/742 गलत तरीके से प्रार्थी के खाते में दर्ज करवा ली, जबकि उक्त आराजी पर प्रार्थी का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्व एक राजस्व वाद इस्तकरार हक एवं बंटवाड़ा का पेश कर रखा है उक्त प्रकरण में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अप्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय में अपील कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी का मौके पर काश्त कब्जा नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे जावें। मैंने उभयपक्षकरान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन, प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं 1 ता 3 के विरूद्व मुल वाद के निस्तारण तक इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा मीरपुरा के खेत खसरा संख्या 444/742, 446, 447, 448, 479 जुमले रकबा 5.14 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जेकाश्त में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखलंदाजी करे तथा ना ही अन्य किसी से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:26:15 IST
Reason: SelfAttested